

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2024

जयपुर, दिनांक :

आदेश

डा. हरीसिंह यादव, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उमरैण अवलर को कार्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उमरैण की सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 3 (क) के अन्तर्गत अस्थाई आधार पर आहरण एवं वितरण की शक्तियाँ एतद द्वारा प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(निशा मीना)
संयुक्त शासन सचिव,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2)
विभाग एवं पचायती राज
(चिकित्सा) विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. निदेशक (जन स्वास्थ्य/प. क.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राज. जयपुर
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ जोन, जयपुर
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर
6. संबंधित अधिकारी
7. कम्प्यूटर सेल/निजी/रक्षित पत्रावली
8. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश आज ही विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करावें।

संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref
7050024



Signature valid

Digitally signed by Nisha Meena
Designation: Joint Secretary To
Government
Date: 2024.05.08 10:03:06 IST
Reason: Approved